बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

आदेश

पटना, दिनांक ..../

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0 11655/2016 कनिल कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 22.08.2019 को पारित आदेश का कार्यकरी अंश निम्नवत् है:–

" This is one of the cases falling under category-II cases. The lead case being MJC No. 243 of 2018 (Shaligram Prasad Singh & Ors. Vs. The State of Bihar Ors.) has been disposed of by us today. The present case is being simultaneously disposed of in terms of the order passed in MJC No. 243 of 2018. "

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री विकल्प सिन्हा, विद्वान अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक 325 दिनांक 24.12.2025 के द्वारा याचिकाकर्त्ताओं की ओर से एस0एल0पी0 डायरी संख्या–25804/2017 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मीरा कुमारी एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में बिहार राज्य मुकदमा नीति 2011 के खंड 4(c) के तहत याचिकाकर्त्ताओं का समायोजन करने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का समायोजन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल0पी0ए0 संख्या 1489/2011 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या 32079/2015 में पारित आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 945 दिंनाक 27.04.2017 में उल्लेखित प्रमुख शर्त्तों यथा–(i) संबंधित अनुदेशक द्वारा समायोजन के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दिनांक 26.02.2016 तक कोई वाद दायर किया गया हो। (ii) अनौपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत किसी एक अवधि में लगातार तीन वर्षों तक कार्यरत रहें हो, का अनुपालन सुनिश्चित करने वाले वैसे अनुदेशकों की वास्तविक संख्या एवं पहचान स्थापित करने के लिए जिलास्तर पर कमिटी गठित है। जिलास्तरीय कमिटि से प्राप्त प्रतिवेदन/अनुशंसा के आधार पर अनुदेशकों के समायोजन संबंधित कार्रवाई की जाती है।

उक्त के संबंधित माननीय न्यायालय द्वारा एम0जे0सी0संख्या–809/2012 बिहार राज्य अनौपचारिक सह विशेष शिक्षा अनुदेशक संघ बनाम बिहार राज्य एव अन्य में 23.07. 2018, एम0जे0सी0 संख्या 243/2018 शालिग्राम प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 22.08.2019, सिविल अपील संख्या–7351/2021 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मीरा कुमारी एवं अन्य (**एस0एल0पी0 डायरी संख्या–25804/2017 से उत्पन्न**) में दिनांक 02.

12.2021, सी0डब्ल्यू0 जे0सी0 संख्या –8581/2018 विजय कुमार दास एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 17.11.2022, एम0जे0सी0 संख्या 3628/2019 सुनील कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 14.12.2022 एवं सिविल रिव्यू संख्या 59/2018 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम हरेन्द्र मिश्रा एवं अन्य में दिनांक 05.07.2023 को पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट 26.02.2016 के बाद याचिका दायर करने वाले अनुदेशकों को समायोजन का लाभ देय नहीं है।

अतएव सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0 11655/2016 कनिल कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के Date of filing 12-Jul-2016 है, जो निर्धारित कट ऑफ डेट दिनांक 26.02.2016 के बाद दायर किया गया है। इस प्रकार उक्त वाद के याचिकाकर्त्ताओं को समायोजन का लाभ अनुमान्य नहीं है। तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0 11655/2016 कनिल कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 22.08.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्त्ता कनिल कुमार एवं अन्य का समायोजन संबंधी दावा को एतद् द्वारा खारिज/अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–

(विजय कुमार)

निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक 13/न्याय–05–175/2016 30/ पटना, दिनांक 12-01-2026

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, रोहतास/जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), रोहतास एवं श्री विकल्प सिंहा, विद्वान अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, बार काउंसिल भवन, चैम्बर–32, पटना/ सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0 11655/2016 के समस्त याचिकाकर्त्ताओं एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव।